Agentiation for direct	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits		Period of proba- tion, if any
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
or by promotion or b percentage of the vaca	, whether by direct r y deputation/absorptio ncies to be filled by	n and absorption various tation/ab	of recruitment by p on, grades from whi psorption to by made	ich promotion/depu-
	11	a the second second	12	a provide se
्र्म भग्राह सम्बर्भ के	n promotion	of Cher rendered the grad		micals, who have
THE REPAIRS	The Contract The Sec	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR	New A Contraction	ene er en here in here here
If a Departmental Pro what is its composition	motion Committee ex		tances in which Union is to be consulted in	
	13		14	
Promotion) :	stt.) – artment of Fertilizers - .), Department of	–Chairman Membor	Not applicat	
	an Andrea An Angraine An Angraine An Angraine An Angraine		[No. R. P. VASIS	A-12011/3/2000-Estt.] SHTHA, Under Secy.
য়ালগা প্রাথমিক বিজিলা মাইলো (চিনাপ) বিজি মাইলো (চিনাপ) চিনি	ाह हे हिंहि स्वास्थ्य	(स्वास्थ्य विभाग)		
in the	नई	दिल्ली, 27 नवम्बर,	2002	
सरकारी आयुर्विज्ञान महा ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज ग	वद्यालय और अस्पताल, चं	ड़ीगढ़ में आचार्य (भेषज भर्ती की पद्धति का वि	गरन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों गुण विज्ञान), उपाचार्य(भे नेयमन करने के लिए निम्न	रेषज गुण विज्ञान) और

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :---(1) इन नियमों का संक्षिप्त' नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान), (समूह "क" राजपत्नित पद) भर्ती नियम 2002 है।

(2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

# 2644 THE GAZETTE OF INDIA : DEC. 14, 2002/ AGRAHAYANA 23, 1924 [Part II-Sec. 3(i)]

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :----उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :--- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिदिष्ट हैं।

5. निरईता :---वह व्यक्ति, ---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पांत्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :---इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार ढारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वगों, भतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

		अनुसूची कार्यकार्यक वि	stimule to state port detriments
	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
पद का नाम	(2)	(3)	(4)
(1) । आचार्य (भेषज गुण विज्ञान) '	1*(2002)	साधारण केन्द्रोय सेवा, समूह <sup>'</sup> क', राजपवित अननुसचिवोय	18600-500-22100 रु. जमा प्रैक्टिसबंदो भत्ता——केवल आयुर्विज्ञान स्नातकों के लिए
4 1101 140000 1361 5 1106 1500 1361	*(कार्यभार के आधार प परिवर्तन किया जा सकत	ार ⊺ है)	
च <b>ब</b> न योग्यता या चयन-सह- ज्येष्ठता के आधार पर या अच <b>ब</b> न पद	सीधी भर्ती किए आयु-सीमा	जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायद केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधी अनुज्ञेय है या नहीं
(5)		(6)	(7)
लागू नहीं होता	(केन्द्रीय सरकार द्व आदेशों के अनुसार	त गरा जारी किए, गए अनुदेशों या सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष ा सकती है)	<b>अ 10</b> 
	टिप्पग : आयु-सीम निर्णायक तारीख भ करने के लिए निय		त । इ. १००० प्रयत्ने गेरे गेरे

2645

अरुणाचल प्रदेश, सिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल ग्रौर स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, ग्रांदमान ग्रौर निकोवार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

6

टिप्पण 1 : ---- ज्येष्ठ प्राध्यापकों, उपाचार्यों और आचार्यों की श्रेणियों में आयुर्विज्ञान अर्हताग्रों वाले अध्यापकों की संख्या, इन श्रेणियों में पदों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2 :---- जहां आचार्य के पद को विभागाध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, वहां केवल मान्यताप्राप्त आधारिक विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान उपाधि अर्हता या समतुल्य अर्हता वाले अध्यापकों की उस पद पर नियुक्ति की जाएगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित ग्रैक्षिक ग्रौर अग्य अर्हताएं

TERRITORIA (8) HERE & HERE D

सोधो भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु ग्रौर शैक्षिक अईताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

#### (9) (9)

#### आयुः नहीं गौभिक शर्वना

आवश्यकः 1 क(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियन 1956 (1956 का 102) की किसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक विष्टवविद्यालय या समतुत्य अर्हता और वह किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो ।

क(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम डी (चिकित्सीय गुण विज्ञान)/पी. एच. डी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) के साथ एम वी ची एस या समतुल्य

या ख (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम एस सी (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) या समतुल्य ख (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से पी एच. डी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान)/डी. एस. सी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) या समतुल्य ।

ग्रैक्षिक अर्हता : हां

परिवोक्षा को अवधि

सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।

andra Part ( Transformation ) (

THE AND THE

(10)

ते चार वर्ष किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान तहाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहआचार्य के रूप में होना चाहिए । टिप्पण 1अर्हताएं, अन्यथा सुर्आहत अर्भ्याथयों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हुताएं) तंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्युशियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित		
पश्चात् उस वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें ते चार वर्ष किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान तहाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहआचार्य के रूप में होना चाहिए । टिप्पण 1अर्हताएं, अन्यथा सुर्आहत अर्भ्याथयों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) तंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्युधियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित		
ते चार वर्ष किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहआचार्य के रूप में होना चाहिए । टिप्पण 1अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दणा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार गिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दणा में तब गिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित		
तहाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहआचार्य के रूप में होना चाहिए । टिप्पण 1अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दणा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार णिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) तंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दणा में तब णिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित		
के रूप में होना चाहिए । टिप्पण 1अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यथियों की दणा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार णिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हुताएं) तंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यथियों की दणा में तब णिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अन्यव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यथियों के	<ul> <li>२१२ वे स्टब्स् के स्ट्रे के स्टब्स् क्यू क्यू क्यू क्यू क्यू क्यू क्यू क्य</li></ul>	
टिप्पण 1अर्हताएं, अन्यथा सुर्आहत अभ्यर्थियों की दणा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार णिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) तंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दणा में तब णिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित		
अभ्यर्थियों की दणा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार गिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) तंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दणा में तब गिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अभ्यक्षित राक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित	<ul> <li>स्वाग में ता कार्युका को कि ता कार्युकार्या</li> <li>स मादा में कर सिंहता में हुआ के कि ता कार्युका के दिन के सिंहता में हुआ के कि कि</li></ul>	
के विवेकानुसार गिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हुताएं) तंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यश्वियों की दणा में तब गिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अन्भव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यश्यियों के	<ul> <li>स्वाग में ता कार्युका को कि ता कार्युकार्या</li> <li>स मादा में कर सिंहता में हुआ के कि ता कार्युका के दिन के सिंहता में हुआ के कि कि</li></ul>	
टिप्पण 2:अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हुताएं) तंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्युधियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्युधियों के	<ul> <li>स. २. २९ २१/५ सा स बार ते स गाउना नियक व्यक्त स्थान हे दे सा समान्तियां ते स्थान साम्य ग्रीमा न नावनाल है। स्वित्तविदा गर्द साम्य ग्रीमा न नावनाल है। स्वित्तविदा गर्द</li> </ul>	1
तंघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यधियों की दणा में तब णिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनभव रखने वाले उन समुदायों के अर्भ्याधियों के	िस मोडन र काल्युक र रहे। विभव २	1
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यूथियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यूथियों के		
अभ्युधियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए भारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनभव रखने वाले उन समुदायों के अर्भ्याधयों के	स्य ये नामनियत्व भिन्न भाग भाष्य्रीयन्त्र नामनित भाष्याव्या प् भाष्यीया प्याप्र कहा नाम क्रान्	
हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनभव रखने वाले उन समुदायों के अर्भ्यार्थयों के	भाष्य राजार न नावनार्थि रायस्य हा स्वयंत्रसार दर भवितायाः यह जन्म क्रमेर नाव क्रमेर स्वयं क्रमेर स	-
तेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए भारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनभव रखने वाले उन समुदायों के अर्भ्याथयों के	मन्ताचा त्य च स्था या गा मन्त्र का स्था नाम कर ह	
भारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अर्भ्याधयों के		
यनभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यथियों के		2
भनभव रखन वाल उन समुदाया क जम्यायया क		
ं ें - जिल्ला कोने की माधावाचा वहीं है।		
गर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भवाना नहीं है।		
वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान	the main and the second s	
प्रकाणन जो इंडैक्स मैडीकस/राष्ट्रीय जर्नलों में तथा	<ul> <li>A second s</li></ul>	
एक अनुसंधान प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में		
अनुक्रमणिका बद्ध हो ।		- 1
	Ver la tarren	
	177.0	- 1
भर्ती की पद्धति ः भर्ती प्रोन्नति/प्रतिनि	तेयुक्ति/आमेलन ढारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	1
भती का पद्धात : जात सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन किय		
सीव होगी भी भी भी में के	The Part of the second of the	
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने	and and the second state and the second state and	
वासन्त पद्धारण द्वारा मेरे के प्रतिशतता	PRESERVE AND	
		-
(11)	(12)	
the state with the state and the state t		
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)	¥1
(	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वश्वासी संगठनो	т/
े	अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी ः──	
<u> २</u> , (क)	(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं	
	या :) च्रे 16400-20000 रु के वेतनमान या समतुल्य में के पदों पर दो वर	c

(ii) जो 16400-20000 रु. के वेतनमान या समतुल्य में के पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा कर चुके हैं ; और

3

नियमित सेवा कर चुक हुः, आर (ख) जो स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए बिर्वे के स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हैं।

2. उपाचार्य (भेजव गुण विज्ञान) को श्रेणो का ऐसा विनागोय अधिकारी जो उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा कर चुका है पर भो वाह्य व्याकेत्रों के साथ विचार किया जाएगा । यदि उसका उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । BELEVE IN (HE)

# [भाग II---खंड 3 (i)] भारत का राजपत्त : दिसम्बर 14, 2002/अग्रहायण 23, 1924

(12)

2647 -----

(1) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाव नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अप्रधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य

संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/ संदिदा की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ादि विभागीय प्रोन्नति समि	ति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन प आयोग से परामर्श वि	गरिस्थियों में संघ लोक सेवा केया⊦जाएगा
(15	3)	11/11 15 1710 (14	
	भमिति (पुष्टि पर विचार करने	के प्रत्येक अवसर पर संघ	लोक सेवा आयोग से परामर्श लोक सेवा आयोग से परामर्श
<ol> <li>गृह सचिव, चंड़ीगढ़ प्र 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शि</li> </ol>	प्रणासन क्षा और अनुसंधान	अध्यक्ष सदस्य	े (स्वयु पूर्ण सेंगर (त्रतीयन्त्र भागन पूर्व वि र भाग गया स्वयुक्त
चंड़ीगढ़ प्रशासन 3. प्रधानाचार्य, सरकारी महाविद्यालय और अर	आयुर्विज्ञान		alegari (seniire) 1997 - Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno An
महाविधालय जार ज		ार्ग (महास) गा	रमे या ( निकिल्गाय केंग्र
(1)	(2)	(3)	(4)
2. उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान)	1 <sup>*</sup> (2002) *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन कि <b>या</b> जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, ग्रननुसचिवोय । ।	16350-450-18600-500- 20100 रु. जमा प्रैक्टिसबंदी भत्ता केवर ग्रायुविज्ञान स्नातकों के लिए
		Contraction of the second second	<del>πα τριβιτ με μανία πηδία].</del> Στητήτερα <b>(7</b> ) Γιητήτερα (π. μητητία)
(5)			जनगणने सोने जो हो हुन्छ क
लागू नहीं होता	50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वा यादेशों के अनसार	रा जारी किए गए अनुदेशों या	1141 - 1546 Har "Attack", 1 - Januar Harden Hardels Internation Attack International <b>Att</b> Second Second
	तक शिथिल की जा	सकती है ) । अग्रहात्मा विकास	alle iblé sue con il doit
	टिव्पण 1 : ग्रायु-सीमा निर्णायक नारीख	। ग्रवधारित करने के लिए भारत में ग्रभ्यॉथयों से आवेदन	taist in an and \$1000.
	प्राप्त करने के लि लोगो (न कि बह	ाए नियत की गई ग्रांतम ताराख प्रांतिम तारीख जो ग्रसम, मेघा-	লান নহা হাবে নাৰি নাৰ্বজ যা চল্লাৰ কলোবিষা জ
	ल <b>य</b> , ग्रहणाचल <sub>विपरा</sub> सिक्तिम	प्रदेश, मिजोरम, मोणपुर, नागलिड, . जम्म-कश्मोर राज्य के लदाख	ere at the relation of a star
	खंड दिमाचल प्रवे	रेश के लाहौल ग्रौर स्पोति जिले के पांगो उपखंड, ग्रंदनान ग्रौर	al and the second s

3602 GI/2002-3

(6)

निकोवार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित को गई है।)

टिप्पण 2 : ज्येष्ठ प्राध्यापकों, उपाचार्यों और ग्राचार्यों को श्रेणियों में आयुर्विज्ञान अहँताओं वाले अध्यापकों को संख्या, इन श्रीणियों में पदों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से प्रधिक नहीं होगी।

	the second se				
and a second	(a)	- M	(10)		
(8)	(9)		(10)		
	and the second	22 22		: जिल्लाों	
the state of the s	जगा • जनीं	साध भता	किए जाने वाले	प्यापतया	

ग्रावध्यकः 1.क (i) भारतीय ग्रायुविज्ञान परिषद् ग्रविनियम 1956 (1956 का 102) को किसो एक अनुसूची में सम्मिलित कोई ग्राधारिक विश्व-विद्यालय या समतुल्य 'ग्रहंता ग्रौर वह किसो राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भारतीय चिकि-त्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो।

क (ii) किसी मान्यताप्राप्त त्रिश्वविद्यालय/संस्था से एम डो (भेषज गुण विज्ञान )/पो. एच. डी. (चिकित्सं,य भेषज गुण विज्ञान) के साथ एम वो बी एस या समतुल्य

या

- ख (i) किसीं माग्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम एस सो (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) या समतुत्य ।
- ख (ii) किसी माग्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से भी.एच. डी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान)/ डी. एस. सो. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) मा समतुत्य।

(iii))किसी मान्यताप्राप्त ग्रायुविज्ञान महाविद्यालय/ शिक्षण संस्था में सहायक ग्राचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/ प्राध्यापक के रूप में स्नातकोत्तर ग्रर्हता अजित करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में पांच वर्ष का शिक्षण का अनुभव।

टिप्पण 1 : ग्रहताएं, ग्रन्थथा सुग्रहित ग्रभ्याथियों की दणा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल को जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं) संघ लोक सेवा ग्रायोग के विवेकानुसार ग्रनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसों प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए ग्रारक्षित रिक्तियों की भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन

म्रायः : नहा गैक्षिक अर्हता : हां के लिए एक वर्ष।

[HII

-----

सम

लट

वांद

कम

मैर्ड

TR का

नः

(8)	
	ख्या में उप-
गंछनीयः	
त्म से कम चार ग्रनुसंधान प्रकाशन डीकस/राष्ट्रीय जर्नलों में अनुक्रमणिक	
(11)	(12)
ोन्नति/प्रतिनियुक्तिः ( इसमें ग्रल्प- ततिक संविदा सम्मिलित है ) जिसके हो सकने पर सोधो भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति ( ग्रल्पकालिक संविदा सम्मिलित है ) : (1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/ कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ ग्रनुसंधान संस्थाग्रों के ऐसे ग्रधिकारी :
1 GI	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदमा पद धारण किए हुए हैं।
	या
	<ul> <li>(ii) जो 14300-18300 रु. के वेतनमान या समतुल्य में के पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा कर चुके हैं; और</li> </ul>
	(ख़) जो स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य म्रहताएं रखते हों।
	(2) ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञात) की श्रेणी के ऐसे विभागीय स्रधिकारी जो उस श्रेणी में दो वर्ष नियभित सेवा कर चुके हों पर भी वाहय व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा ग्रौर यदि उसका उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरी गई समझी जाएगी ।
	पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति को सीधो पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान्न नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त ब्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगे ।
	(प्रतिनियुक्ति/संविदा की ग्रवधि, जिसके ग्रंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी प्रन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठोक पहले धारित किसी ग्रन्थ काडर-बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की ग्रवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी। प्रति- नियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके ग्रंतर्गत ग्रल्पकालिक संविदा भी है) के लिए ग्रधिक- तम ग्रायु सीमा ग्रावेदन प्राप्त करने को अंतिम तारोख को 56 वर्ष से ग्रधिक- नहीं होगी।)
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (	पुष्टि पर विचार करने के प्रत्येक ग्रवसर पर संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श करना ग्रावश्यक है ।
लिए): 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन	——ग्रध्यक्ष

- प्रधानाचार्य, सरकारी ग्रायुर्विज्ञान महाविद्यालय ग्रौर ग्रस्पताल, चंडागढ़ — सदस्य
- सरकारी श्रायुर्विज्ञान महाविद्यालय ग्रौर ग्रस्पताल, चंडोगढ़ के संबंधित विभाग का ग्राचार्य ग्रौर विभागाध्यक्ष ---सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
			14300-400-15900-450-
3. ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज		राजपवित, ग्रननुसचिवीय	18150 0. जमा मानदत
गुण विज्ञान)	(2002)	राजपालत, अगरतता र	बंदी भत्ता केवल ग्रायुविज्ञान
	*कार्यभार के ग्राधार पर		स्नातकों के लिए
	परिवर्तन किया जा सकता है।		2 - 12
		the production of the state of the	
2011 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			(7)
(5)	" <u>"</u>	)	
	50 वर्ष से अनधिक		नहीं
नागू नहीं होता		री किए गए ग्रनुदेशों या २ रेन्ट्रों के लिए 5	
Weight the state of the state	(कन्द्रीय सर्वतर दास	रकारी सेवकों के लिए 5	
	मादेशा के अपुरागर प	ना सकती है)	
	वप तक शियल की उ	- किन करने के लिए निर्णा-	
	टिप्पण : ग्रायु-सीमा अवध	ारित करने के लिए निर्णा-	
	TTTT H	TTU UU A MINGINI	
	> २ जिन विगत व	हा गई स्रातम ताराख हागा	
		ताराख जी असम, मनारान,	
		דודד דוטעי, חויונוט,	
		T AUT 1 1 100 41 11619	
	. िल्लान गरना व	हे लाहाल आर रन्मारा गयम	
		UNI 3495, MANN	
a start and the start of the	तथा चम्बानगर ह	तद्वीप के ग्रभ्यवियों के लिए	
	निकासीर दाप था भाष		
and an a stand	विहित की गई है।)	कों उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो	
The start of the start	विहित की गई है।) टिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्यापः	कों, उपाचार्यो ग्रौर झ(चार्यो जिल्लान ग्रहीत,ग्रों वाले ग्रध्या-	
and an	विहित की गई है।) टिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्रायु	कों, उपाचार्यो ग्रौर झ(चार्यो विज्ञान ग्रर्हत,ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल	
The start of the start	विहित की गई है।) टिप्पण : ज्येष्ठ प्राघ्याप की श्रेणियों में स्रायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रहंत।ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल त्यात से ग्रधिक नहीं होगों।	
	विहित की गई है।) टिप्पण : ज्येष्ठ प्राघ्याप की श्रेणियों में स्रायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति	कों, उपाचार्यो ग्रौर झ(चार्यो विज्ञान ग्रर्हत,ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल	
The set of provide the set of the set of th	विहित की गई है।) टिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्रायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रहंत।ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल त्यात से ग्रधिक नहीं होगों।	(10)
The set of provide the set of the set of th	विहित की गई है।) टिप्पण : ज्येष्ठ प्राघ्याप की श्रेणियों में स्रायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रर्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल त्शत से ग्रधिक नहीं होगों। (9)	(10)
	विहित की गई है।) टिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्रायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रर्हत,ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल भगत से ग्रधिक नहीं होगों।	
	विहित की गई है।) टिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्रायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रर्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल त्शत से ग्रधिक नहीं होगों। (9)	(10)
ग्रावण्यकः	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्राय् पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8)	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रर्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल त्शत से ग्रधिक नहीं होगों। (9)	(10)
	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में यायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) यायुविज्ञान परिपद् ग्रधिनियम, का 102) की किसी एक	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रर्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल त्शत से ग्रधिक नहीं होगों। (9)	(10)
ग्रावश्यक : 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्राय् पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) ग्राय्युविज्ञान परिपद् ग्रधिनियम, का 102) की किसी एक एकिन कोई ग्राधारिक विश्व-	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रर्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल रणत से ग्रधिक नहीं होगों। (9) लागू नहीं होता	(10)
ग्रावण्यक : 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में समि	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्रायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) मलित कोई ग्राधारिक विश्व- नब्य गईना ग्रीर वह किसी राज्य	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रर्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल त्शत से ग्रधिक नहीं होगों। (9)	(10)
ग्रावण्यक : 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में समि	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्रायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) मलित कोई ग्राधारिक विश्व- नब्य गईना ग्रीर वह किसी राज्य	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रर्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल रणत से ग्रधिक नहीं होगों। (9) लागू नहीं होता	(10)
ग्रावण्यकः 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में समि विद्यालय या समा चिकित्सक रजिस्	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्रायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) (8)	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रहंत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल (श) (१) लागू नहीं होता	(10) एक वर्ष
ग्रावश्यक : 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में सम् विद्यालय या सम् चिकित्सक रजिस् रजिस्टर में रजिस्त	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में यायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रर्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल रणत से ग्रधिक नहीं होगों। (9) लागू नहीं होता	(10) एक वर्ष
ग्रावश्यक : 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में सम् विद्यालय या सम् चिकित्सक रजिस् रजिस्टर में रजिस्त	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में यायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रहंत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल (श) (१) लागू नहीं होता	(10) एक वर्ष
ग्रावश्यक : 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में समि विद्यालय या सम चिकित्सक रजिस रजिस्टर में रजिस्त क (ii) किसी मा	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्राय पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रर्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल रशत से ग्रधिक नहीं होगों। (9) लागू नहीं होता	(10) एक वर्ष
ग्रावश्यक : 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में सम् विद्यालय या सम् चिकित्सक रजिस् रजिस्टर में रजिस् क (ii) किसी मा एम डी (भेषज् (भाषयिज्ञान	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में यायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	कों, उपाचार्यो ग्रौर ग्राचार्यो विज्ञान ग्रार्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल ग्रात से ग्रधिक नहीं होगों। (१) लागू नहीं होता	(10) एक वर्ष
ग्रावश्यक : 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में सम् विद्यालय या सम् चिकित्सक रजिस् रजिस्टर में रजिस् क (ii) किसी मा एम डी (भेषज् (भाषयिज्ञान	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में यायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रर्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल रणत से ग्रधिक नहीं होगों। (9) लागू नहीं होता	(10) एक वर्ष
ग्रावण्यकः 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में सम्पि विद्यालय या सम्प चिकित्सक रजिस् रजिस्टर में रजिस्ट क (ii) किसी मा एम डी (भेषज ( ग्रायुविज्ञान प एम बी बी ए	विहित की गई है।) हिल्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्राय पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रार्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल खात से ग्रधिक नहीं होगों। (9) लागू नहीं होता	(10) एक वर्ष
ग्रावण्यक : 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में सम् विद्यालय या सम् चिकित्सक रजिस् रजिस्टर में रजिस्त क (ii) किसी मा एम डी (भेषज (ग्रायुविज्ञान क एम बी बी ए या	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में यायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रार्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल खात से ग्रधिक नहीं होगों। (9) लागू नहीं होता	(10) एक वर्ष
ग्रावश्यक : 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में सम् विद्यालय या सम् चिकित्सक रजिस् रजिस्टर में रजिस्त क (ii) किसी मा एम डी (भेषज (ग्रायुर्विज्ञान क एम बी बी ए या	विहित की गई है।) हिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में यायु पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रार्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल खात से ग्रधिक नहीं होगों। (9) लागू नहीं होता	(10) एक वर्ष
ग्रावश्यक : 1 (क) (i) भारतीय 1956 (1956 ग्रनुसूची में सम् विद्यालय या सम् चिकित्सक रजिस् रजिस्टर में रजिस्त क (ii) किसी मा एम डी (भेषज (ग्रायुर्विज्ञान क एम बी बी ए या	विहित की गई है।) हिल्पण : ज्येष्ठ प्राध्याप की श्रेणियों में ग्राय पकों की संख्या इन संख्या के तीस प्रति (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	कों, उपाचार्यो ग्रौर झाचार्यो विज्ञान ग्रार्हत.ग्रों वाले ग्रध्या- श्रेणियों में पदों की कुल रशत से ग्रधिक नहीं होगों। (9) लागू नहीं होता	(10) एक वर्ष

### 8 ख (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी. एच. डी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान)/ डी. एस. सी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) या समतुल्य । (2) किसी मान्यताप्राप्त ग्रायुविज्ञान महाविद्यालय/ शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/ज्येष्ठ रैजीडेंट/निदर्शक/ग्रध्यापक के रूप में स्नात-कोत्तर ग्रहंता ग्रजित करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्ष का शिक्षण का ग्रन्भव। टिप्पण 1 : ग्रर्हताएं, ग्रन्यथा सुग्राहित ग्रभ्यथियों को दणा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : ग्रनुभव संबंधी ग्रहंता ( ग्रहंताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के वियेकानुसार अनुसुचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के क्रभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा ग्रायोग की यह राय है कि उनके लिए ग्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के ग्रम्थथियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। (12)(11)लाग नहीं होता सीधी भर्ती द्वारा (14)(13)संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि पर विचार करने के लिए) :---1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन -ग्रध्यक्ष 2. सचिव, ग्रायुविज्ञान शिक्षा ग्रौर ग्रनुसंधान चंडीगढ़ -- सदस्य प्रशासन

- प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ ——सदस्य
- सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ के संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष ---सदस्य

[सं. वी. 24011/11/2002-एम ई डैस्क II] एस.के. मिश्रा, ग्रवर सचिव

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

### New Delhi, the 27th November, 2002

G.S.R. 507 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules. 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and

the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule. 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification.-No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post : Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, R.1

exempt any person from the operation of this rule. 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Com-

mission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 7. Savings.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time

to time in this regard.

to this reg	SCHEDU	LE	
		Classification	Scale of pay
Name of post	Number of post		4
1	2	3	e, Rs. 18600-500-22,100-
1. Professor (Pharmacology)	01* (200?) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Servic Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Plus Non-practicing Allowance only for Medical Graduates.
			Ct of odded
Whether Selection by merit or Selection-cum-seniority or Non-Selection post	Age limit for d		Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
			7
5	6		Yes.
Not applicable.	Not exceeding fifty years. ment servants upto five ye the instructions or orders Government).	(Relaxable for Govern- ears in accordance with issued by the Central	

[भाग II--खड 3 (i)]

2653

	भारत का राजपतः दिसम्ब	र 14, 2002/ग्रग्रहायण 23, 1924	2653
		6	
	cations from candidates closing date prescribed f Meghalaya, Arunachal I Manipur, Nagaland, Tri division of Jammu and I Spiti district and Pangi S district of Himachal Pra Nicobar Islands or Laks Note 1 : The strength of te	g date for receipt of appli- in India (and not the for those in Assam, Pradesh, Mizoram, pura, Sikkim, Ladakh Kashmir State, Lahaul and Sub-Division of Chamba desh, Andaman and shadweep). eachers in the grade of	
	of the total number of p	ons shall not exceed 30% osts in these grades.	
1998) 1997 - Starley Starley (1994) 1997 - Starley Starley (1994) 1997 - Starley Starley (1994)	Note 2 : In the event the p nated as Head of Depar- recognised basic universi fication or equivalent appointed to the post.	tment, only teachers with ty medical degree quali-	
Educational and other qua direct recruits	lifications required for	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
	8	9	10 One year for direct
tion included the Indian Me (1956) and mu Register or In (ii) M.D. (Pharm (Medical Pha University/In B. (i) M.Sc. (Medic nised Univers (ii) Ph.D. (Medic Pharmacolog Institution or II. Ten years experience i Post-graduate qualific should be as Reader/A nized Medical College/	n the profession after acquiring ation, out of which four years Associate Professor in a Recog-	of ical g- ical y/ g	recruits.

8	
from these communities possessing the requisit ence are not likely to be available to fill up th reserved for them. esirable : linimum four Research Publications indexed i Medicus/National Journals and one Research tion in International Journals.	n Index Publica-
Iethod of recruitment whether by direct cruitment or by promotion or by deputation/ bsorption and percentage of the posts to be lled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
romotion/deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	<ul> <li>Promotion/deputation (including short-term contract):</li> <li>I. Officers of the Central /State Governments/Union Territories/ Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Insti- tutions: <ul> <li>(a)</li> <li>(i) holding analogous posts on regular basis; or</li> <li>(ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400-20000/- or equivalent; and</li> </ul> </li> <li>(b) possessing the educational and other qualifications pres- cribed for direct recruits under column (8).</li> <li>II. The Departmental Officer in the grade of Reader (Pharma- cology) with two year's regular service in the grade will also by considered alongwith outsiders and in case he/she is selec- ted for appointment to the post, the same shall by deemed to have been filled by promotion.</li> <li>The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists sha not be eligible for consideration for appointment by promotion [Period of Deputation/Contract including period of Deputation Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization department of the Central Government shall ordinarily ne exceed five years'. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be n exceeding fifty six year's as on the closing date of the recei of applications.]</li> </ul>
If a Departmental Promotion Committee ex composition	ists, what is its Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

composition			making reer and
composition			(14)
•	(13)	and the second of the	Consultation with Union Public Service
Group 'A' Departmental Pro	omotion Committee (Fo	or considering	Commission is nocessary on each occa-
Confirmation) :	ligarh Administration	Chairman	sion.
2. Secretary, Medical Edu	tion.	Member	and an and the second sec
<ol> <li>Principal, Government Hospital, Chandigarh.</li> </ol>	Medical College and	Member	

	(2)	(3)	(4)
(I)	01* (2002) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 16350–450–18600– 500–20100 plus Non-practicing Allowance. Only for Medical Graduates.
(5)	(1	6)	(7)
Not applicable	Not exceeding fifty years. ( ment servants upto five years the instructions or orders i Government). Note : The crucial date for o limit shall be the closing date cations from candidates in closing date prescribed for Meghalaya, Arunachal Pra Nagaland, Tripura, Sikkin Jammu and Kashmir State district and Pangi Sub-Div of Himachal Pradesh, And	ars in accordance with ssued by the Central determining the agc- ate for receipt of appli- India (and not the those in Assam, adesh, Mizoram, Manipur, n, Ladakh division of c, Lahaul and Spiti ision of Chamba district	Yes
	Islands or Lakshadweep). Note 1 : The strength of tea Senior Lecturers, Readers non-medical qualifications of the total number of po	and Professors with shall not exceed 30%	
	(8)	(9)	(10)
		Age : No.	One year for direct
included in any Indian Medica 1956) and mus Medical Regist A. (ii) M.D. (Pharma (Medical Phar University/Ins	rsity or equivalent qualification y one of the Schedules to the I Council Act, 1956 (102 of t b) registered in a State ter or Indian Medical Register; cology)/MBBS with Ph.D. macology) from a recognised titution or equivalent. OR	Educational Qualifications : Yes.	recruits.
<ul> <li>I. A. (i) A basic University included in any Indian Medica 1956) and mus Medical Registing.</li> <li>A. (ii) M.D. (Pharma (Medical Pharma (Medical Pharma (Medical Pharma (Medical Pharma University/Instructure).</li> <li>B. (i) M.Sc. (Medica nised University.</li> <li>B. (ii) Ph.D. (Medica</li> </ul>	y one of the Schedules to the 1 Council Act, 1956 (102 of t b) registered in a State ter or Indian Medical Register; cology)/MBBS with Ph.D. macology) from a recognised titution or equivalent. OR al Pharmacology) from a recog- ity or equivalent; al Pharmacology)/D.Sc. (Medica /) from a recognised University/	Educational Qualifications : Yes.	recruits.
<ul> <li>I. A. (i) A basic University included in any Indian Medica 1956) and muss Medical Registive A. (ii) M.D. (Pharma (Medical Pharmuchical Pharmuchical Pharmuchical Pharmacology Institution or B. (i) Ph.D. (Medical Pharmacology Institution or II. Five years tead cerned special qualification a Lecturer/Lect College/Teach</li> <li>Note 1 : Oualifications ar</li> </ul>	y one of the Schedules to the 1 Council Act, 1956 (102 of t b) registered in a State ter or Indian Medical Register; cology)/MBBS with Ph.D. macology) from a recognised titution or equivalent. OR al Pharmacology) from a recog- ity or equivalent; al Pharmacology)/D.Sc. (Medica b) from a recognised University/ equivalent; ching experience in the con- ity after acquiring Post-graduate as Assistant Professor/Senior urer in a recognized Medical ning Institution. e relax. b) of the discretion of e Commission in case of candi-	Educational Qualifications : Yes.	recruits.

(8)	
Commission in the case of candidates belonging Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If a stage of selection, the Union Public Service Con is of the opinion that sufficient number of cand from these communities possessing the requisite ence are not likely to be available to fill up the reserved for them. Desirable : Minimum four Research Publications indexed in Medicus/National Journals.	nt any nmission idates expori- posts
(11)	(12)
Promotion/deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
and the second	(ii) with two years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300-18300 or equivalent; and
	(b) possessing the educational and other qualifications pres- cribed for direct recruits under column (8).
	II. The Departmental Officer in the grade of Senior Lecturer (Pharmacology) with two years regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he she is selected for appointment to the post, the same shall be
	deemed to have been filled by promotion. The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
	(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinari not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be n exceeding fifty six year's as on the closing date of receipt applications).
	(14)
(13)	

-Member

- 1. Home Secretary, Chandigarh Administration
- 2. Secretary, Medical Education and Research, -Member Chandigarh Administration
- 3. Principal, Government Medical College and -Member Hospital, Chandigarh
- Professor and Head of the concerned 4. Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh

	(2)	(3)	(4)
<ol> <li>Senior Lecturer (Pharmacology)</li> </ol>	01* (2002) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	
(5)	(6)		(7)
Not applicable	<ul> <li>Not exceeding fifty years. (R ment servants upto five year the instructions or orders is Government).</li> <li>Note : The crucial date for de limit shall be the closing dat cations from candidates in 1 closing date prescribed for t Meghalaya, Arunachal Prad Manipur, Nagaland, Tripura Division of Jammu and Kas and Spiti district and Pangi Chamba district of Himacha and Nicobar Islands or Laks Note 1 : The strength of teach Senior Lecturers, Readers an</li> </ul>	rs in accordance with sued by the Central etermining the age- te for receipt of appli- ndia (and not the hose in Assam, esh, Mizoram, a, Sikkim, Ladakh hmir State, Lahaul Sub-Division of al Pradesh, Andaman shadweep).	No
	Non-Medical qualifications of the total number of posts	shall not exceed 30% in these grades.	
	(8)	(9)	(10)
<ul> <li>included in any of Indian Medical (1956) and must la Register or India</li> <li>A. (ii) M.D. (Pharmaco (Medical Pharma University/Instit)</li> <li>B. (i) M.Sc. (Medical Pharma University/Instit)</li> <li>B. (ii) Ph.D. (Medical Pharmacology) for Institution or equivalent (1997)</li> <li>B. (iii) Three years teac cerned speciality</li> </ul>	Pharmacology)/D.Sc. (Medical rom a recognised University/	Not applicable.	One year.

2658 THE GAZETTE OF INDIA : DEC. 14, 2002/ AGRAHAYANA 23, 1924 [PART H-Sec. 3(1)]	2658 THE GAZETTE	OF INDIA : DEC.	14, 2002/ AGRAHAYAN	NA 23, 1924	[PART H-Sec. 3(i)]
---	------------------	-----------------	---------------------	-------------	--------------------

1	01	
- (	X 1	

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

#### (11)

# Direct Recruitment.

	a ann - a' a' strainne i strainne i st	(14)
(13) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for	Considering	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.
Confirmation): 1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education and Research,	Chairman Membor	
<ol> <li>Secretary, Medical Education. Chandigarh Administration.</li> <li>Principal, Government Medical College and</li> </ol>	-Member	
Hospital, Chandigarii.	-Member	
<ol> <li>Hospital, Chandings</li> <li>Professor and Head of the concerned</li> <li>Department of Government Medical College</li> </ol>		
and Hospital, Chandigarh.		[No. V. 24011/11/2002-ME Desk-II]

[No. V. 24011/11/2002-WE Dook 24] S. K. MISHRA, Under Secy.

(12)

Not applicable.

mail n - and



THE GAZETTE OF INDIA: SEPTEMBER 25, 2004/ASVINA 3, 1926

#### नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 323.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्वि महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञा (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपान (भेषज गुण विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान) और ज्ये प्राध्यापक (भेषज गुण) विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें) इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में ब्र

(i) स्तंभ 8 के अधीन ''(iii)'' शब्द के स्थान पर ''2'' रखा जाएगा।

3. उक्त नियम में क्रम संख्यांक 3 में वर्णित पद के सामने स्तंभ 8 के अधीन ''ख्(iii)'' अक्षरों के स्थान पर ''II'' अंक रखे जाएंग

[सं. वी. 24011/11/2002-एम ई डेस्क-]] एस. के. मिश्रा, अवर सचि

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 507 तारीख 27 नवंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## New Delhi, the 17th September, 2004

G.S.R. 323.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Presider hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professo (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitmen

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professo (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitmen (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), against the post appearing at serial number 2,-

under column 8, the word "(iii)" shall be substituted as "2".

In the said rules against the post appearing at Serial number 3, under column 8, for letters "B(iii)", the figures 3. "II" shall be substituted.

[No. V. 24011/11/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note: The Principal rules were published vide number G.S.R. 507 dated the 27th November, 2003.

## नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 324.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर क्रिया विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर क्रिया विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

A CARLON SO COMPREMENTATION CAR

PART II--SEC. 3